

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०  
(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)



14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन  
लखनऊ-226001

Email: directorcomm@uppcl.org  
Ph. No.: 0522-2287806(O)  
CIN NO: U32201UP1999SGC024928

संख्या: I/23251/2025 /इ०ए०सी०/पा०का०लि०

दिनांक: 02-09-2025

कार्यालय जाप

एतद्वारा दिनांक 08 अगस्त 2025 को सम्पन्न उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की 214वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुक्रम में निम्नवत् आदेशित किया जाता है:-


1. ऐसे स्वतंत्र पोषक, जिनका निर्माण उपभोक्ता के व्यय पर हुआ है को Protective Load Charge से मुक्त करते हुए 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति प्रदान की जाएगी एवं इन उपभोक्ताओं के संयोजन पर शहरी टैरिफ लागू होगा।
2. उक्त व्यवस्था आदेश निर्गमन की तिथि के पश्चात प्रारंभ होने वाली बिलिंग साइकिल (Billing Cycle) से लागू होगी।

निदेशक मण्डल  
उ०प्र०पा०का०लि०

संख्या: I/23251/2025/इ०ए०सी०/पा०का०लि० दिनांक: 02-09-2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल-मेरठ/दक्षिणांचल-आगरा/मध्यांचल-लखनऊ/पूर्वांचल-वाराणसी एवं केस्को-कानपुर।
4. निदेशक (वित्त/वितरण/ आई०टी०/का०प्र० एवं प्रशा०/कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (वित्त/वाणिज्य/तकनीकी), पश्चिमांचल-मेरठ/दक्षिणांचल-आगरा/मध्यांचल-लखनऊ/पूर्वांचल-वाराणसी एवं केस्को-कानपुर।
6. कम्पनी सचिव, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण), पश्चिमांचल-मेरठ/दक्षिणांचल-आगरा/मध्यांचल-लखनऊ/पूर्वांचल-वाराणसी एवं केस्को-कानपुर।

आज्ञा से,  
  
(प्रशांत वर्मा)  
निदेशक (वाणिज्य)